राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत पीपलीनगर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत पीपलीनगर

प्रकरण सं.– 04/2011 अ.ना.

निर्णय दिनांक– 18 जून, 2015

अनवान

1. श्रीमति लाडुबाई पुत्री गुल्ला जी पत्नि नाहरसिंह निवासी पीपलीनगर हाल खेडाजस्सा तहसील भीम

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पीपलीनगर।
2. श्रीमति वजीदेवी पत्नि धन्नासिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
3. श्री कानसिंह पिता धन्नासिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
4. श्रीमति सुशिली पत्नि कानसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
5. श्रीमति केलीदेवी पुत्री धन्नासिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
6. श्रीमति कन्यादेवी पुत्री धन्नासिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
7. श्रीमति पानीदेवी पुत्री धन्नासिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
8. श्री सार्दुलसिह पिता दीपसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
9. श्री नाथुसिंह पिता दीपसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 831 दिनांक 27.07.89</u>

अपीलान्ट व रेस्पांडेन्ट का सजरा निम्न प्रकार है:–

गुल्ला

कानसिंह | लाडुबाई | (लाऔलाद फोत) गटुबाई

यह कि मौजा पीपलीनगर पटवार क्षेत्र पीपलीनगर में आराजी नम्बर 3455, 3556, 3457 व चाह नम्बर 3452 स्थित थी जिस पर उनके पिता का निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट व उसकी बहन व भाई कानसिंह पिता गुल्लासिंह का निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा था।

कानसिंह ने मिली भगत कर उक्त आराजियात में अपने पिता के वारिस अकेले कानसिंह बनकर उक्त भूमि का खाता खुलवाने हेतु पटवारी हल्का पीपलीनगर से मिला व उसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 830 भरा गया व तथा उसमें अपने आपको अकेला वारिस बताकर उक्त भूमि को अपने अकेले के नाम पर दर्ज करवा दी। जबकि हिन्दु विधि के अनुसार गुल्ला जी की अपीलान्ट व उसकी बहन गटू दोनो जीवित वारिस है फिर भी गलत तरीके से पटवारी ने उक्त नामान्तकरण को भरा तथा बिना जांच व पता किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसे स्वीकृत किया गया है जो प्रथम दृष्टतया ही कानून विरूद्ध होने से खारीज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट का चाह नम्बर 3452 में तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसको वारिसान मानते हुए उसके पक्ष में नामान्तकरण खोल दिया गया था परन्तु पूर्व में फर्जी व गलत तरीके से चुपके चुपके जब ये नामान्तकरण खोला गया उसकी जानकारी अपीलान्ट को नही हो सकी क्योंकि अपीलान्ट अपने नाम पर चली आना मानती चली आ रही है।

अतः अपीलान्ट की अपील न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प पीपलीनगर** मे पेश हुआ। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को आपसी समझाईश से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 831 दिनांक 27.07.1989 निरस्त किया जाता है तथा मृतक गुल्ला उर्फ गुलाबसिंह निवासी पीपलीनगर के वारिसानों को विधि अनुरूप सुना जाकर निर्णय पारित करे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम

Scanned by CamScanner